[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 5 /2017-प्रतिकर उपकर(दर)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2017

सा0का0नि0 (अ); माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उपधारा(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 1/2017 -प्रतिपूर्ति उपकर (दर) , दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा0का0नि0 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असधारण के भाग 2 खंड 3 उपखंड(i) में प्रकाशित किया गया था में आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

2. उक्त अधिसूचना में अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 47 और 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

(1)	(2)	(3)	(4)
“47	8703 40, 8703 60	निम्नलिखित वाहन, जिनमें स्पार्क इग्निशन इंटरनल कंबस्शन रेसी प्रोकेटिंग पिस्टन इंजन और इलक्ट्रिक मोटर दोनो ही प्रोपल्शन मोटर के रूप में लगे हुए हैं;	
		(क) मोटरवाहन जिनमें वे सभी फिटमेंटस, और सहायक उपकरण लगे हों जोकि किसी ऐम्बुलेंस के लिए जरूरी होते हों जो कि ऐम्बुलेंस के रूप में इसके विनिर्माण करने वाले कारखाने से क्लियलर किए गए हों	शून्य
		(ख) तिपहिया वाहन	शून्य
		(ग) मोटर वाहन जिनकी अधिकतम क्षमता 1200 सीसी और अधिकतम लंबाई 4000 एमएम हो ।	शून्य
		(घ)उपर्युक्त क ख और ग में उल्लिखित वाहनों से भिन्न मोटर वाहन ।	15%
		स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के उद्देश के लिए मोटर वाहनों की विशिष्टता का निर्धारण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988(1988 का 59) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जायेगा।	
48	8703 50, 8703 70	निम्नलिखित वाहन, जिनमें कम्प्रेशन- इग्निशन इंटरनल कंबस्शनपिस्टन इंजन (डीजल या अर्धडीजल) और इलक्ट्रिक	

		मोटर दोनो ही प्रोपल्शन मोटर के रूप में लगे हुए हैं; (क) मोटरवाहन जिनमें वे सभी फिटमेंटस्, और सहायक उपकरण लगे हों जोकि किसी ऐम्बुलेंस के लिए जरूरी होते हों जो कि ऐम्बुलेंस के रूप में इसके विनिर्माण करने वाले कारखाने से क्लियलर किए गए हों (ख) तिपहिया वाहन (ग) मोटर वाहन जिनकी अधिकतम क्षमता 1500 सीसी और अधिकतम लंबाई 4000 एमएम हो । (घ)उपर्युक्त क ख और ग में उल्लिखित वाहनों से भिन्न मोटर वाहन । स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के उद्देश के लिए मोटर वाहनों की विशिष्टता का निर्धारण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988(1988 का 59) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जायेगा।	 शून्य शून्य शून्य 15%";

(ii) क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

(1)	(2)	(3)	(4)
"52	8703	मोटर वाहन जिनकी अधिकतम क्षमता 1500 सीसी हो ।	17%
52A	8703	मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी हो और क्रम संख्या 52 ख में दी गई प्रविष्टि में उल्लिखित मोटर वाहनों से भिन्न हो ।	20%
52B	8703	मोटर वाहन जिनकी अधिकतम क्षमता 1500 सीसी हो और जिन्हें स्पोट्स यूटिलिटी वहीकल्स (एसयूवी) के नाम से जाना जाता है जिसमेंयूटिलिटी वहीकल्स भी आते हैं । स्पष्टीकरण : इस प्रविष्टि के उद्देश के लिए एसयूवीमें वे मोटर वाहन आते हैं जिनकी अधिमतम लंबाई 4000 एमएम और ग्रांउड क्लियरेंस 170 एमएम या इससे अधिक होती है	22%".

[फा सं0.354/159/2017-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं0 1/2017 -प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा0का0नि0 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 2 , खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं0 3/2017 -प्रतिपूर्ति उपकर(दर) दिनांक 18 जुलाई, 2017, जिसे सा0कानि0 892(अ) दिनांक 18 जुलाई, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, संशोधन किया गया है ।